Toppersnotes
Unleash the topper in you

उत्तर प्रदेश पुलिस

कांस्टेबल

UTTAR PRADESH POLICE RECRUITMENT & PROMOTION BOARD

भाग – 4

सामान्य अध्ययन -1

SIERRA INNOVATIONS

संविधान, पुलिस, प्रशासन एवं उ. प्र. सामान्य ज्ञान

(1) संविधान सभा 1

(2) स्रोत, अनुसूचियाँ एवं भाग 2

(3) प्रस्तावना 4

(4) संघ, उनके राज्य क्षेत्र 6

(5) मूल अधिकार 8

(6) नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य 17

(7) राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति 21

(8) मंत्रिमण्डल एवं संसद 28

(9) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 40

(10) राज्यपाल एवं विधानमण्डल 41

(11) सर्वोच्च न्यायालय, एवं उच्चन्यायालय 43

(12) आपातकालीन उपबंध 49

(13) केन्द्र – राज्यसंबंध 54

(14) पंचायती राजव्यवस्था 58

(15) संविधान संशोधन 60

(16) प्रमुख आयोग 64

(17) नागरिकता 68

(18) प्रधानमंत्री 70

(19) पुलिस एवं प्रशासन 71

(20) प्रशासन एवं कानून 80

- राजस्व प्रशासन
- साइबर अपराध
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

(21) उ. प्र. सामान्य ज्ञान 90

सामान्य विज्ञान

(1) भौतिक विज्ञान 129

(2) रसायन विज्ञान 160

(3) जीव विज्ञान 186

Revision एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- भूगोल, संविधान, इतिहास, विज्ञान, विविध 209

विविध

- देश एवं उनकी मुद्रायें, पुस्तकें एवं लेखक
- खेलकूद, पुरूस्कार, महत्वपूर्ण दिवस
- प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, राज्य – राजधानियाँ
- प्रमुख व्यक्तित्व, मंत्रीपरिषद – 2019
- अद्वितीय भारत एवं अविष्कार – अविष्कारक

लोकतंत्र के 3 स्तम्भ

- विधायिका – कानून बनाना
- कार्यपालिका – जो कानून बने है, उन्हें क्रियान्वित करना

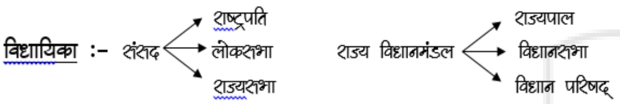

- न्यायपालिका – उपयुक्त कानून सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं इस बात की समीक्षा करना

इन तीनों का सिद्धांत माण्टेस्क्यू ने दिया था ।

कार्यपालिका :- यह दो प्रकार की होती है ।

1. अस्थाई कार्यपालिका :- इसके तहत 'मंत्रीपरिषद्' होती है ।
2. स्थाई कार्यपालिका :- इसके तहत 'नौकरशाही' होती है ।

न्यायपालिका :- सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय

संविधान की पृष्ठभूमि

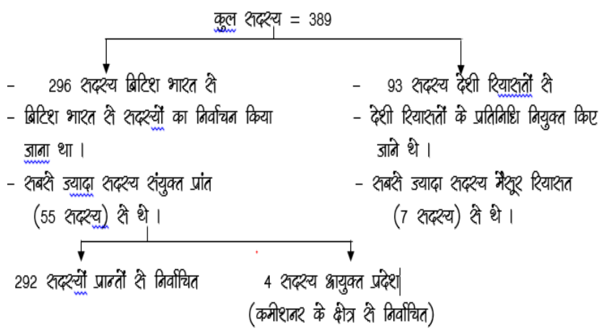

संविधान सभा की प्रथम बैठक :- 9 दिसम्बर 1946 अध्यक्ष – सच्चिदानंद सिन्हा

संविधान सभा की दूसरी बैठक :- 11 दिसम्बर 1946 स्थायी अध्यक्ष – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद,
उपाध्यक्ष – H. C. मुखर्जी
सलाहकार – B. N. राव

- संविधान का पहला प्रारूप B. N. राव ने तैयार किया
  संविधान का मुख्य प्रारूप B. R. अम्बेडकर ने तैयार किया ।
- 13 दिसम्बर को जवाहर लाल नेहरू द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया गया जो कि 22 जनवरी 1947 को पास किया गया ।

संविधान सभा

- सर्वप्रथम 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की ।
- 1938 में कांग्रेस ने यह मांग की कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए
- 1940 अगस्त प्रस्ताव – इसके तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि संविधान सभा में भारतीय सदस्य होंगे और भारतीय सदस्य ही संविधान बनाएगें ।
- 1942 क्रिप्स मिशन – इसके तहत पहली बार संविधान सभा एवं इसके निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया ।
- 1946 कैबिनेट मिशन – इसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन 4 जुलाई – अगस्त 1946 में हुआ । संविधान सभा का चुनाव प्रान्तीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया गया । इसके तहत संविधान सभा के सदस्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया ।
  (1) मुस्लिम (2) सिक्ख
  (3) सामान्य

संविधान सभा के सदस्य

उद्देश्य प्रस्ताव

- यह एक प्रकार से संविधान के लिए संविधान की रूपरेखा थी । इसमें संविधान के मूल आदर्शो की स्थापना की गई । यह एक मार्गदर्शिका थी ।
- संविधान सभा ने अपने कार्य विभाजन के लिए अनेक समितियों का गठन किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार है-

क्र.सं.	समितियां	अध्यक्ष
1.	संघीय शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
2.	संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
3.	प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
4.	मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक के समर्थन में सलाहकार समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
5.	राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में तदर्थ समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6.	मूल अधिकारों के संदर्भ में उप समिति	जे. बी. कृपलानी
7.	अल्प संख्यकों के संदर्भ में उप समिति	एच. सी. मुखर्जी
8.	प्रारूप समिति	भीमराव अम्बेडकर

प्रारूप समिति :-

- इसमें कुल 7 सदस्य थे ।
- अध्यक्ष – भीमराव अम्बेडकर
- अन्य सदस्य

प्रारूप समिति :-

- इसमें कुल 7 सदस्य थे ।
- अध्यक्ष – भीमराव अम्बेडकर
- **अन्य सदस्य** –
    1. गोपाल स्वामी आयंगर
    2. अल्लदी कृष्णा स्वामी अय्यर
    3. के. एम. मुंशी
    4. सईद मोहम्मद सादुल्ला
    5. बी. एल. मिश्र, स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसके स्थान पर एन. माधवराव आए थे ।
    6. डी. पी. खैतान, मृत्यु होने पर इसके स्थान पर टी. टी. कृष्णामाचारी आए थे ।

- 15 अगस्त 1947 के बाद भारत व पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे ।
- अंतिम रूप से संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे । जे. पी. नारायण एवं तेज बहादुर सप्रु ने खराब स्वास्थ्य के कारण संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया ।
- 22 जुलाई 1947 के बाद संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी ।
- 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा ने विधानमंडल का कार्य भी किया जिसके अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर थे ।
- 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए मान्यता दे दी ।
- संविधान सभा में 12 महिला सदस्य थी । सरोजनी नायडू, ऊषा मेहता, दुर्गा बाई देशमुख एवं अन्य
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किये । इसी दिन से 15 अनुच्छेद लागू किये गये । संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गयी । इसके बाद भी संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही । इसके बाद 1952 में संसद के गठन के बाद संविधान सभा पूर्णतया समाप्त हो गयी ।

- **संविधान सभा का मूल संविधान** :- भाग = 22, अनुच्छेद = 395, अनुसूचियाँ = 8
  वर्तमान में :- भाग = 24 (चार नए भाग है- 4A, 9A, 9B, 14A) (नोट- 7 वां भाग 7 वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया ।) अनुच्छेद = 446, अनुसूचियाँ = 12

भारतीय संविधान के स्त्रोत

1. **भारत सरकार अधिनियम** :- यह भारतीय संविधान का मुख्य स्त्रोत है । हमारे संविधान के लगभग 2/3 अनुच्छेद इसी से लिए गए है । आपातकाल लगाने की व्यवस्था केन्द्र व राज्यों के बीच विषयों का विभाजन आदि ।

2. **ब्रिटेन/इंग्लैण्ड** :-
   (1) संसदीय शासन व्यवस्था
   (2) कैबिनेट व्यवस्था
   (3) सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना
   (4) राष्ट्रपति का अभिभाषण
   (5) रिट जारी करना
   (6) एकल नागरिकता
   (7) न्याय के समक्ष समानता
   (8) First Past The Post System (सर्वाधिक मत लाने वाला व्यक्ति विजयी होगा)
   (9) CAG की व्यवस्था, विधि का शासन

3. **अमेरिका** :-
   (1) मूल अधिकार
   (2) न्यायिक पुनरावलोकन
   (3) न्यायिक सर्वोच्चता
   (4) विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law)
   (5) राष्ट्रपति पर महाभियोग
   (6) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया
   (7) प्रस्तावना की शुरूआत "हम भारत के लोग भारत को"
   (8) उपराष्ट्रपति का पद

4. **आयरलैण्ड** :-
   (1) नीति निदेशक तत्व
   (2) राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
   (3) राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन

5. **ऑस्ट्रेलिया** :-
   (1) समवर्ती सूची
   (2) संयुक्त अधिवेशन
   (3) अन्तर्राज्यीय व्यापार-वाणिज्य और समागम
   (4) प्रस्तावना का प्रारूप

6. दक्षिण अफ्रीका :-
(1) संविधान संशोधन
(2) राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

7. कनाडा :-
(1) संघात्मक ढांचा - केन्द्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं, अवशिष्ट शक्ति केन्द्र के पास होती है ।
(2) राज्यपाल की नियुक्ति (जो कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति करता है)
(3) सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री व्यवस्था

8. फ्रांस :-
(1) गणतंत्रात्मक व्यवस्था
(2) स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व

9. जर्मनी :-
(1) वाइमर/वीमर गणतंत्र
(आपातकाल में मूल अधिकारों का निलम्बन)

10. रूस :-
(1) मूल कर्तव्य
(2) न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय) - Preamble

11. जापान :- (1) विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया (अनुच्छेद - 21)

अनुसूचियाँ

पहली अनुसूची :- भारत के राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश

दूसरी अनुसूची :- वेतनमान (जिनका वेतन संचित निधि पर भारित है)
- राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानपरिषद् का सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज, CAG, UPSC के चैयरमेन व सदस्य ।
- वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन में कटौती की जा सकती है ।

तीसरी अनुसूची :- शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप
- लोकसभा व राज्यसभा की सदस्यता के उम्मीदवार, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य (M.P.), मंत्री, विधानसभा की सदस्यता के उम्मीदवार, विधानसभा से सदस्य (M.L.A.), मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज, CAG
- तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का प्रावधान नहीं है । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ मूल संविधान में दी गयी है । लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती ।

चौथी अनुसूची :- राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सीटों का आवंटन

पांचवीं अनुसूची :- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध
छठी अनुसूची :- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उपबंध

सातवीं अनुसूची :-
- विषयों का विभाजन = संघ सूची - 97, राज्य सूची - 66, समवर्ती सूची - 47

वर्तमान में = संघ सूची - 100, राज्य सूची - 61, समवर्ती सूची - 52

आठवीं अनुसूची :-संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है ।
- मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गयी है ।
- (1967) 21 वें संविधान संशोधन द्वारा 15 वीं भाषा सिन्धी को मान्यता दी गयी ।
- (1992) 71 वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को मान्यता दी गयी ।
  (1) नेपाली (2) कोंकणी
  (3) मणिपुरी
- (2003) 92 वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को मान्यता दी गयी ।
  (1) संथाली (2) मैथिली
  (3) डोगरी (4) बोडो
- वर्तमान में कुल भाषाएं = 22
- **अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है ।**
- **हिन्दी व अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया है ।**

नवीं अनुसूची :- न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण
- (1951) पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस 9 वीं अनुसूची को जोडा गया ।
- 9 वीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता । लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें 1973 के बाद 9 वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

दसवीं अनुसूची :- दल-बदल से संबंधित प्रावधान

- (1985) 52 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 10 वीं अनुसूची को जोडा गया । बाद में 91 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 10 वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया ।

ग्यारहवीं अनुसूची :- ग्राम पंचायत/पंचायती राज व्यवस्था

- ग्राम पंचायतों को दिए गए 29 विषय शामिल है लेकिन इसमें से अभी तक 22 विषय ही दिए गए है ।
- (1992) 73 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 11 अनुसूची को शामिल किया गया ।

बारहवीं अनुसूची :- नगरपालिकाएं/नगर प्रशासन नगरपालिकाओं को 18 विषय दिए गए है । 74 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 12 वीं अनुसूची को शामिल किया गया।

संविधान के भाग

भाग	अनुच्छेद	विषय
भाग 1	अनु. 1 - 4	संघ और उसका राज्य क्षेत्र
भाग 2	अनु. 5 - 11	नागरिकता
भाग 3	अनु. 12 - 35	मूल अधिकार
भाग 4	अनु. 36 - 51	राज्य के नीति निदेशक तत्व
भाग 4(A)	अनु. 51(A)	मूल कर्तव्य
भाग 5	अनु. 52 - 151	संघ - कार्यपालिका, विधायिका (संसद), न्यायपालिका, CAG
भाग 6	अनु. 152 - 237	राज्य
भाग 7	7 वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त	
भाग 8	अनु. 239 - 242	केन्द्र शासित प्रदेश
भाग 9	अनु. 243	पंचायतें
भाग 9(A)		नगरपालिकायें
भाग 9(B)		सहकारी संस्थाएं
भाग 10	अनु. 244	अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र
भाग 11	अनु. 245 - 263	संघ और राज्यों के बीच संबंध
भाग 12	अनु. 264 - 300	वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद
भाग 13	अनु. 301 - 307	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
भाग 14	अनु. 308 - 323	संघ और राज्यों के अधीन सेवायें
भाग 14(A)	अनु. 323क, 323ख	अधिकरण
भाग 15	अनु. 324 - 329	निर्वाचन
भाग 16	अनु. 330 - 342	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
भाग 17	अनु. 343 - 351	राजभाषा
भाग 18	अनु. 352 - 360	आपात उपबंध
भाग 19	अनु. 361 - 367	प्रकीर्ण
भाग 20	अनु. 368	संविधान का संशोधन
भाग 21	अनु. 369 - 392	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
भाग 22	अनु. 393 - 395	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए
दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है ।

- संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है।
- प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखण्डता शब्द 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ई. में जोडे गये।
- हमारी प्रस्तावना 4 बातें बताती हैं-
  - शक्ति का स्त्रोत - जनता स्वयं
  - राज्य की प्रकृति - सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी

- उद्देश्य – न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना
- कब – 26 नवम्बर, 1949 ई. (संविधान दिवस)

- एन. ए. पालकी वाला – इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है ।
- के. एम. मुंशी – प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्मकुंडली है ।
- अर्नेस्ट बर्कर – प्रस्तावना संविधान का Key Stone है ।
- ठाकुर दास भार्गव – प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ।
- टी. टी. कृष्णामाचारी – ने प्रस्तावना को "संविधान की आत्मा" कहा है ।

हम भारत के लोग :– शक्ति का स्त्रोत भारतीय जनता को माना गया है ।

राज्य की प्रकृति सम्प्रभु :- सम्प्रभु से तात्पर्य है कि भारत एक डोमिनियन स्टेट नहीं है । वह सभी प्रकार से एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने सभी प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव के लेता है । यद्यपि भारत राष्ट्रमंडल, UNO, WTO आदि का सदस्य है तथा इनके निर्देशों का पालन भी करता है लेकिन इससे हमारी सम्प्रभुता समाप्त नहीं होती क्योंकि इन संस्थाओं की स्थापना पारस्परिक सहयोग एवं विकास के लिए की गयी है और भारत ने स्वेच्छा से इनकी सदस्यता ली है ।

समाजवादी :– भारत लोकतांत्रिक समाजवादी देश है । समाजवाद का तात्पर्य है कि समाज के सभी लोगों को आर्थिक विकास का समान अधिकार हो । इसके तहत सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और संसाधनों का केन्द्रीकरण नहीं होने दिया जाएगा । भारत मार्क्सवादी देश नहीं है, यही कारण है कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनायी है । यद्यपि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हम उत्तरोतर पूंजीवाद की तरफ बढ रहे हैं । अतः समाजवाद का पारम्परिक अर्थ अप्रासंगिक हो रहा है ।

पंथनिरपेक्ष :– भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है लेकिन हमारी पंथनिरपेक्षता पाश्चात्य देशों से भिन्न है । पंथनिरपेक्षता का अर्थ है– "राज्य सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से उदासीन रहेगा अर्थात राज्य व धर्म के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा ।" लेकिन भारत में पंथनिरपेक्षता अलग अर्थ में है । भारत में पंथनिरपेक्षता से तात्पर्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा अर्थात राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा । राज्य किसी धर्म विशेष पर कर नहीं लगाएगा तथा राज्य धर्म से निरपेक्ष रहने की बजाय सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा तथा धार्मिक आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

लोकतंत्र :- भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता की शासन में भागीदारी सुनिश्चित की गयी है, यद्यपि भारत भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से विशाल देश है प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गयी है । इसके तहत संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और पंचायती राज संस्थाओं का विकास करके जनता की भागीदारी को और अधिक बढाया जा रहा है और उत्तरोतर सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है ।

गणराज्य :– राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा और प्रत्येक नागरिक राष्ट्रध्यक्ष बन सकता है ।

न्याय :- सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय का आश्वासन दिया गया है ।

सामाजिक न्याय :- समाज में किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव जैसे जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा । सभी को समान रूप से गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके ।

आर्थिक न्याय :– सभी लोगों को समान रूप से रोजगार के अवसरों की उपलब्धता होगी । सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की जाएगी । राज्य आर्थिक शोषण से बचाव करेगा । सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करेगा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा ।

राजनैतिक न्याय :- सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार, सार्वजनिक मताधिकार तथा सभी वर्गों के लोगों को चुनाव लडने की स्वतंत्रता ।

स्वतंत्रता :– व्यक्तित्व के विकास के लिए मनुष्य को स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होना अनिवार्य है अतः हमारा संविधान विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना सभी प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है ।

समानता प्रतिष्ठा व अवसर की समानता

बंधुता :- पारस्परिक सौहार्द को बढाने का प्रयास किया गया है जिससे कि व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि हो तथा इससे राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित हो सके।

प्रश्न :- ''क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं'' समीक्षा कीजिए ?

उत्तर – 1960 में बारबरी यूनियन केस में यह प्रश्न उभरा कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं । सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है ।

1973 के केशवानन्द भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का विभिन्न अंग है । इसी प्रकार से 1995 के एल.आई.सी. केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया ।

1. न तो प्रस्तावना विधानमंडल को अतिरिक्त शक्तियां देती है और न ही उसकी शक्तियां पर नियंत्रण स्थापित करती है ।
2. यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।
3. **प्रश्न :- क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ?**
4. उत्तर – सर्वप्रथम 1973 में केशवानन्द भारती केस में प्रश्न उभरा याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का सार तत्व है अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का तर्क यह था कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसमें भी संशोधन किया जा सकता है ।
5. न्यायालय ने मध्यम मार्ग अपनाया और यह कहा कि यद्यपि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए ।
6. (1976) के 42 वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड गए ।
   (1) समाजवाद (2)पंथनिरपेक्षता
   (3) अखण्डता

प्रस्तावना की आलोचनाएं :-

1. यह मौलिक नहीं है प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग भारत को, अमेरिका से ली गयी है तथा शेष प्रस्तावना का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ।
2. इसके कुछ शब्द स्पष्ट नहीं है, जैसे- समाजवाद, पंथनिरपेक्ष
3. इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है ।

भाग 1 :- संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)

अनुच्छेद 1 :- भारत को राज्यों का संघ कहा गया है यद्यपि भारतीय संविधान परिसंघात्मक है इसके बावजूद भी संविधान में कहीं परिसंघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है । भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसी भी तरह की आशंका सोद्देश्य परिसंघ का उल्लेख नहीं किया गया है । क्योंकि राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण नहीं किया है । जैसा कि USA में किया गया है/था ।

अनुच्छेद 2 :- हमारी संसद विधि बनाकर किसी भी प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल कर सकती ह ।

अनुच्छेद 3 :-

- संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है ।
- किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढा सकती है तथा कम कर सकती है ।
- राज्य की सीमा में बदलाव कर सकती है ।
- राज्य का नाम बदल सकती है ।
- राज्य के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है ।

नये राज्य के निर्माण की प्रक्रिया :-

1. नये राज्य से संबंधित बिल पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है ।
2. नये राज्य के निर्माण के सभी अधिकार केन्द्र/संसद के पास है ।
3. नये राज्य से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल के पास भेजता है । इस प्रस्ताव को पारित करने की समय सीमा राष्ट्रपति निश्चित कर सकता है । इस समय सीमा में बदलाव कर सकता है ।
4. राज्य विधानमंडल की सहमति या असहमति का नए राज्य के निर्माण में कोई प्रभाव नहीं पडता ।
5. नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है । इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ।
6. दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है ।
7. राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता ।

8. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात नया राज्य अस्तित्व में आ जाता है ।

नोट :- भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है । यू.एस.ए. को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है ।

अनुच्छेद 4 :- अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किए गए बदलाव जिससे अनुसूची 1 व अनुसूची 4 प्रभावित करती है उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा ।

नोट :- किसी नए क्षेत्र को भारत में मिलाना तथा किसी भारतीय क्षेत्र को भारत से अलग करने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य है ।

सीमा विवाद को हल करने के लिए यदि कुछ क्षेत्र अन्य देशों को दिए जाते है इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती अर्थात इसके लिए संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है । इसके लिए मंत्रिमंडल स्वयं निर्णय ले सकती है ।

भारत का एकीकरण

- अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया क्योंकि वहां के शासक हरिसिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे ।
- फरवरी 1948 में जूनागढ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा भारत में किया गया था ।
- नवम्बर 1948 में हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही द्वारा भारत में विलित किया गया ।
- 1954 में पांडुचेरी, माहे, यनम, करैकाल आदि क्षेत्रों को फ्रांस से आजाद कराया गया ।
- 1954 में दादर व नगर हवेली पुर्तगालियों से मुक्त हो गए ।
- दादर व नगर हवेली का 10 व संविधान संशोधन द्वारा भारत में विलय किया गया ।
- गोवा व दमन दीव का 12 वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में विलय किया गया ।
- पांडुचेरी का 14 वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में विलय किया गया ।
- भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केन्द्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया । जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केन्द्रशासित क्षेत्र होगा ।

राज्यों का पुनर्गठन

धर आयोग Dhar Commission – 1948

- सर्वप्रथम धर आयोग – 1948 का गठन राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था । इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया । इस आयोग के अनुसार भौगोलिक व प्रशासनिक कारकों को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

J. V. P. Commission – 1949

- यह आयोग धर कमीशन की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए गठित किया । इस आयोग ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया । इस आयोग के अनुसार भौगोलिक व प्रशासनिक कारकों को ध्यान में रखकर राज्यों को पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।
- 1953 में आंध्रप्रदेश पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बना था ।
- पोट्टी श्रीरामल्लू की 56 दिन की हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गयी जिससे अराजकता का माहौल बन गया और ऐसे में सरकार ने दबाव में आकर आनन-फानन में आंध्रप्रदेश राज्य की स्थापना की । इससे अन्य क्षेत्रों में भी भाषायी आधार पर राज्यों की मांग बढने लगी इसलिए 1953 में "फजल अली" आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया ।
- आयोग के सदस्य थे – के. एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू ।

फजल अली आयोग/राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाएं (1995)

1. राज्यों का पुनर्गठन देश की सुरक्षा व अखण्डता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।
2. राज्यों के गठन में सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।
3. राज्य पुनर्गठन में आर्थिक विकास को महत्व दिया जाना चाहिए ।
4. सामाजिक कल्याण, जन कल्याण को बढावा मिलना चाहिए ।
5. इस आयोग ने नए सिरे से राज्यों का पुनर्गठन किया और पूर्ववर्ती 4 श्रेणियों (A, B, C, D) को समाप्त किया । 2 श्रेणियां (राज्य व संघ शासित प्रदेश) रखी गयी ।
    - 1 नवम्बर 1956 से भारत में 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए ।

- 1960 में गुजरात को अलग कर दिया गया तथा शेष भाग 'महाराष्ट्र' कहलाया ।
- 1963 में नागालैण्ड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया ।
- 1966 में हरियाणा (हिन्दी भाषा के आधार पर), पंजाब (पंजाबी भाषा के आधार पर), चंडीगढ (केन्द्रशासित प्रदेश) बनाया गया ।
- 1971 में हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया गया ।
- 1973 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया ।
- 1974 में 35 वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य घोषित किया गया ।
- 1975 में 36 वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्णतयाः भारत में शामिल कर लिया ।
- 1987 में मिजोरम, गोवा, अरूणाचल प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया गया ।
- 2000 में छत्तीसगढ (मध्यप्रदेश से), उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश से), झारखंड (बिहार से) को अलग राज्य का दर्जा दिया गया ।
- 2014 में तेलंगाना (आंध्रप्रदेश से) को अलग राज्य का दर्जा दिया गया ।

भाग 3 :- मूल अधिकार (अनुच्छेद 12 – 35)

- संविधान के भाग 3 को 'भारत का मेग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गयी है ।

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 12	राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद 13	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां
अनुच्छेद 14 – 18	समता का अधिकार
अनुच्छेद 19 – 22	स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 23 – 24	शोषण के विरूद्ध अधिकार
अनुच्छेद 25 – 28	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 29 – 30	संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
अनुच्छेद 31	सम्पत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 32 – 35	संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा :- इसके तहत राज्य को परिभाषित किया गया है । इसके तहत राज्य में निम्नलिखित शामिल है- भारत की संसद, केन्द्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि । अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे- LIC, ONGC, SAIL etc. इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाईयों के कार्यो को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो । उच्चतम न्यायालय के अनुसार, किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को, जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है ।

अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां :-

- अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी ।
- दूसरे शब्दों में, ये न्यायिक समीक्षा योग्य है ।
- 26 जनवरी, 1950 से पहले बनी वे सभी विधियां जो कि मूल अधिकारों का हनन करती है तो ये विधियां उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जहां तक मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो । इस प्रकार 26 जनवरी 1950 के बाद बनी वे सभी विधियां जो कि मूल अधिकारों का हनन करती है तो ये विधियां उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जहां तक मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो । वर्तमान में यदि संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन किया जाता है तथा ऐसे में यदि 26 जनवरी 1950 से पहले बनी विधियों में विरोधाभास समाप्त हो जाता है तो 26 जनवरी 1950 से पहले बनी वे विधियां पुनः जीवित हो जाएगी। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद बनी विधियां शून्य ही रहेगी ।
- अनुच्छेद 13 के अनुसार 'विधि' शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है ।
  1. स्थायी विधियां, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ।
  2. अस्थायी विधियां जैसे- राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश ।
  3. कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे- अध्यादेश, आदर्श, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना ।
  4. विधि के गैर विधायी स्त्रोत जैसे- विधि का बल रखने वाली रूढि या प्रथा ।

  यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ।

  यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्राप्त है कि वे किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर-संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है ।

अनुच्छेद 14 – 18 समता का अधिकार

अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण :-

- अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
- प्रथम नकारात्मक संदर्भ है जबकि दूसरा सकारात्मक।
  प्रथम :- कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है।
  द्वितीय :- समान विधि के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है।
  बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।

अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध :-

- राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर-
  1. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों में प्रवेश या
  2. पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, शर्त के अधीन नहीं होगा।
- राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण-
  1. स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।
  2. बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
- राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। (प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया।)
- राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षिणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते है। (अंतिम प्रावधान 93 वें संविधान संशोधन, 2005 द्वारा शामिल किया गया)

अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता :-

- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
- तीन अपवाद दिये गये है-
  1. संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है।
  2. राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
  3. विधि के तहत किसी संस्था या कार्यकारी परिषद के सदस्य की धार्मिक आधार पर व्यवस्था कर सकती है।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत :-

- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है।
- अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा

अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत :- अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में चार प्रावधान करता है।

1. राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
2. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
3. कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा
4. राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 19 – 22 स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण :- अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है ये है-

1. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2. शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार
3. संगम या संघ बनाने का अधिकार
4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का या निवास करने का अधिकार
6. कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

अनुच्छेद 19(A) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :- उच्चतम न्यायालय ने वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है-

1. अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार ।
2. प्रेस की स्वतंत्रता
3. व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता
4. फोन टैपिंग के विरूद्ध अधिकार प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है ।
5. किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार
6. सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार
7. शांति का अधिकार
8. चुप रहने का अधिकार
9. किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरूद्ध अधिकार
10. प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है ।

राज्य वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है ।

1. भारत की एकता एवं सम्प्रभुता
2. राज्य की सुरक्षा
3. विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध
4. सार्वजनिक आदेश
5. नैतिकता की स्थापना
6. न्यायालय की अवमानना
7. किसी अपराध में संलिप्तता

शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता :-

- किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है । इसमें शामिल है- सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन
- राज्य संगठित होने के अधिकार पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है-
  1. भारत की एकता अखण्डता एवं सार्वजनिक आदेश
  2. संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण

संगम या संघ बनाने का अधिकार :-

- सभी नागरिको को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा । इसमें शामिल है- राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कम्पनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार ।
- यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है वरन् उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है ।
- इस अधिकार पर राज्य द्वारा प्रतिबंध भी लगाया जाता है । यह प्रतिबंध लगाने का आधार इस प्रकार है-
  1. भारत की एकता एवं सम्प्रभुता
  2. सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता
- उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है ।

अबाध संचरण की स्वतंत्रता :-

- यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है । वह स्वतंत्रतापूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संरचण कर सकता है ।
- यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत नागरिकों के लिए एक है ।
- इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण है-
  1. आम लोगों का हित
  2. किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित ।

निवास का अधिकार :-

- हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है । इस अधिकार के दो भाग है-
  1. देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार
  2. देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार – इसका तात्पर्य है कि वहां घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना ।
- इस पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने के दो कारण है-
  1. विशेष रूप से आम लोगों के हित में ।

2. अनुसूचित जनजातियों के हित में ।

व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता :-

- सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है ।
- किसी पेशे या व्यवसाय के लिए तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है ।
- राज्य किसी व्यापार या उद्योग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है ।

सूचना का अधिकार :-

- सूचना का अधिकार (Right to Information) की शुरूआत सर्वप्रथम 1776 में स्वीडन में हुई ।
- सूचना का अधिकार की शुरूआत भारत में सर्वप्रथम राजसमन्द से हुई ।
- मजदूर किसान शक्ति संगठन की प्रमुख – अरूणा रॉय
- ब्यावर कस्बे में अरूणा रॉय ने अपना पहला सम्मेलन किया इनके प्रयासों से राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम 2000 में सूचना का अधिकार लागू किया ।
- 2005 में केन्द्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया और इसके तहत एक सूचना आयोग की स्थापना की गयी जिसमें 1 अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते है ।
- वर्तमान में सूचना आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य है ।
  - प्रथम सूचना आयुक्त – वजाहत हबीबुल्ला
- सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
  - समिति के सदस्य – प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री
  - इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आयु अधिकतम 65 वर्ष होती है ।
  - लाभ के पद पर कार्य नहीं करते होने चाहिए ।
- प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी (PIO) होगा एवं बडी संस्थान होने पर एक सहायक लोक सूचना अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है ।
- इसके तहत सूचना देने की अधिकतम अवधि 30 दिन की रखी गयी है ।
- इसके तहत यदि आवेदन पत्र सहायक सूचना अधिकारी को दी जाती है तो अधिकतम 35 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध करवायी जाएगी ।
- यदि भेजी गयी सूचना उस सूचना अधिकारी के अन्तर्गत नहीं आती है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह 5 दिनों के अंदर-अंदर उस आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी के पास भेजे ।
- संबंधित अधिकारी को जब वह आवेदन पत्र प्राप्त हो जाता है तो उसे अधिकतम 30 दिन का अधिकार प्राप्त होगा ।
- जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना हो तो यह 48 घंटे के अंदर-अंदर दी जानी चाहिए ।
- RTI एक्ट की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित विभागों जैसे- IB, CBI, Director General of Investigation of Income Tax, सशस्त्र बल, सेनाएं, पुलिस बल आदि
  इनसे केवल दो संदर्भ में (भ्रष्टाचार व मानवाधिकार) सूचनाएं मांगी जा सकती है । यह 45 दिन में अपनी सूचनाएं उपलब्ध करवायेंगें ।

सूचना के अधिकार के लाभ :-

1. सूचना के अधिकार को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है ।
2. यह 'मील का पत्थर' एवं एक 'क्रांतिकारी घटना' है ।
3. इससे सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिलेगा ।
4. इससे जनता में राजनैतिक जागरूकता बढेगी ।
5. उससे जनता के प्रति सरकारी जवाब देयता में सुधार होगा ।
6. इससे सरकारी काम काज में तेजी आएगी ।
7. इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी ।
8. इससे शासन में जनता की भागीदारी बढेगी ।
9. इससे शासन के प्रति जनता का जुडाव अधिक होगा तथा जनता में सक्रियता की भावना बढेगी ।

सूचना के अधिकार की हानियां :-

1. अधिकांश जनता राजनैतिक जागरूकता से वंचित है । अतः वे RTI एक्ट के बारे में जागरूक नहीं है इससे सरकार पर 'काम के बोझ' में वृद्धि हुई है ।
2. प्रशासनिक कार्य में अधिकांश काम लिखित में होता है, अभी भी मशीनीकृत नहीं हो पाया है इसलिए इतनी सारी सूचनाएं एकत्रित करना कठिन काम हो जाता है ।
3. सरकारी कार्यालयों की परम्परागत कार्यशैली को बदलने में अभी समय लगेगा ।
4. सूचना के अधिकार के तहत सबसे बडा मुद्दा यह है कि इसके तहत राजनैतिक दलों को भी शामिल किया जाना चाहिए या नहीं ।

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण :- इस संबंध में तीन व्यवस्थाएं है-

1. व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया, उस समय की विधि के तहत ही सजा दी जा सकती है ।
2. किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है ।
3. किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति का स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण :- अनुच्छेद 21 में घोषणा की गयी है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

1978 से पहले गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) :- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया । इसके द्वारा दिए गए निर्णय को आधार बनाया गया तथा इसमें विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को महत्व दिया गया था । यह देखा जाता था कि कार्यपालिका ने विधि के अनुरूप कार्य किया है अथवा नहीं । इसके तहत कार्यपालिका की निरकुंश कार्यवाही के विरूद्ध संरक्षण दिया जाता था ।

1978 के बाद मेनका गांधी बनाम भारत सरकार (1978) :- उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बदल दिया और इसमें विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को अपनाया गया ।

इसमें कानून के शब्दों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय को भी आधार बनाया गया और कार्यपालिका के आदेशों के साथ-साथ विधायिका के कार्यो की समीक्षा को भी शामिल किया गया है । इससे न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित होती है तथा इससे अनुच्छेद 21 की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की उदार व्याख्या संभव है ।

संविधान लागू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे ज्यादा व्याख्या अनुच्छेद 21 की की है । इसकी सबसे व्यापक व्याख्या की गयी है । यहां सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार- जीवन का तात्पर्य केवल जीवन पूरा करना नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना है । गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए इसमें आवश्यक वस्तुएं जोडी गई है । अनुच्छेद 21 में 27 चीजें जोडी गयी है । जैसे- मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरूद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकडी लगाने के विरूद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, हिरासत में शोषण के विरूद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार आदि

अनुच्छेद 21(क) शिक्षा का अधिकार :-

- अनुच्छेद 21(क) में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा । यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अन्तर्गत है न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में ।
- 86 वां संविधान संशोधन 2002 में जोडा गया ।

अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण :- अनुच्छेद 22 के दो भाग है-

पहला भाग :- "साधारण कानूनी मामले"

- उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है ।
  1. उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा ।
  2. उसे विधिवेता की सलाह लेने का अधिकार होगा।
  3. उसे 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश किया जाएगा । (यात्रा का समय शामिल नहीं होता)
- उपर्युक्त कानून दो तरह के लोगों को प्राप्त नहीं है।
  1. शत्रु देश के नागरिक को
  2. निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को ।

दूसरा भाग :- "निवारक हिरासत के मामले"

- अनुच्छेद 22(2) केन्द्रीय विधानमंडलों तथा राज्य विधानमंडलों को निवारक निरोध कानून बनाने की अनुमति देता है । यदि संसद को लगता है कि लोकव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो तो यह कानून बनाया जा सकता है ।
- इसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है । इसका उद्देश्य अपराध को रोकना होता है । पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है । ऐसे व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए लगातार 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है और सलाहकार बोर्ड का गठन करके हिरासत की अवधि बढाई जा सकती है ।
- बोर्ड - सलाहकार बोर्ड के सदस्य, उच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के 'X' जज, उच्च न्यायालय

के योग्य जज निवारक निरोध कानून, जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है ।

1. निवारक निरोध अधिनियम – 1950, जो 1969 में समाप्त हो गया ।
2. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) 1971, जिसे 1978 में निरसित कर दिया ।
3. विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम (COFEPOSA) 1974
4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NASA) 1980
5. चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम (PBMSECA) 1980
6. आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (TADA) 1985 – यह 1995 में समाप्त हो गया ।
7. आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA) 2002 – यह 2004 निरस्त कर दिया गया ।

अनुच्छेद 23 – 24 शोषण के विरूद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध :-

- अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार (बलात् श्रम) और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है । यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा ।
- यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है ।
- लेकिन आपात स्थिति में राज्य अपने नागरिकों से अनिवार्य सेवाएं प्राप्त कर सकता है लेकिन इस तरह की सेवाएं लेने में राज्य द्वारा धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध :-

- अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियां यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है ।
- 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे- होटलों, रेस्तरा दुकानों, कारखानों, रिसार्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है ।
- संशोधनों में खतरनाक व्यवसायों में रोजगार के लिए बच्चों एवं किशोरों की आयु में वृद्धि कर दी गई है । जैसे कि खनन उद्योग में 14 के स्थान पर 18 से कम आयु के बच्चों – किशोरों को नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

अनुच्छेद 25 – 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता :-

- अंतःकरण की स्वतंत्रता :- किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता ।
- मानने का अधिकार :- अपना धार्मिक विश्वास व आस्था की सार्वजनिक व बिना भय के घोषणा करने का अधिकार ।
- आचरण का अधिकार :- धार्मिक पूजा, परम्परा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता ।
- प्रसार का अधिकार :- अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार व प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धान्तों को प्रकट करना ।

अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता :-

- अनुच्छेद 26 के अनुसार "धार्मिक व मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार ।"
- अपने धर्म विषयक कार्यो का प्रबंध करने का अधिकार
- जंगम व स्थावर सम्पत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार, ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार

अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता :-

- अनुच्छेद 27 में उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा व कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता :-

- किसी को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा ।
  1. सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ।

2. निजी संस्थानों द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है ।
3. सरकार से वित्त पोषित संस्था में सभी की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और यदि सहमति नहीं बने तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ।

अनुच्छेद 29 – 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा :-

- सभी अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे अपनी लिपि संस्कृति, भाषा को बचाए रखने तथा बनाए रखने के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं ।

अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गो का अधिकार :-

- अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रबंधन कर सकता है ।
- उद्देश्य :- अल्पसंख्यकों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करना तथा सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण देना है ।

अनुच्छेद 31 सम्पत्ति का अधिकार :-

- सम्पत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया है । 44 वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300(A) में डाल दिया गया है ।
  1. 31 (A) – भूमि सुधार व सम्पत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान (पहले संविधान संशोधन द्वारा)
  2. 31 (B) – 9 वीं अनुसूची को विधिक संरक्षण दिया गया है ।
  3. 31 (C) – अनुच्छेद 31 (B) & (C) को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा । (25 वां संविधान संशोधन 1971)
     ये उपयुक्त तीनों अभी भी अस्तित्व में हैं ।

अनुच्छेद 32 – 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे 'संविधान की आत्मा' कहा है ।

अनुच्छेद 32 रिट जारी करने का अधिकार:- इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार दिए गए हैं ।

बंदी प्रत्यक्षीकरण :- इसके तहत जिस किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है । उसे सशरीर न्यायालय में पेश करना । यदि किसी व्यक्ति को अनाधिकृत/गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाता है तो यह रिट जारी की जाती है ।

परमादेश :- यह केवल सरकारी/राजनीतिक अधिकारी के विरूद्ध जारी की जाती है । यदि कोई व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति के विरूद्ध यह रिट जारी की जाती है ।
नोट :- राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरूद्ध परमादेश जारी नहीं किया जाता ।

प्रतिषेध :- यह उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरूद्ध जारी की जाती है । इसके तहत अधीनस्थ न्यायालय में चल रहें किसी केस (विवाद) को अपने पास मंगाया जाता है । यह तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है ।

उत्प्रेषण :- यह उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध जारी की जाती है । यदि मामले की सुनवाई हो चुकी है तो इस स्थिति में यह रिट जारी की जाती है और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से उस केस को अपने पास मंगवाता है । यह कार्यपालिका के विरूद्ध भी जारी की जा सकती है । लेकिन संसद/विधायिका के प्रति जारी नहीं की जा सकती ।

अधिकार पृच्छा :- यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है जिसकी योग्यता उसमें नहीं है । इस रिट के द्वारा न्यायालय उस व्यक्ति से उसके पद की नियुक्ति का कारण पूछता है ।
नोट :- नियुक्त करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध यह रिट जारी नहीं की जाती । केवल सरकारी व्यक्तियों के विरूद्ध जारी की जाती हैं ।

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के रिट जारी करने में अंतर :-

क्र. सं.	सुप्रीम कोर्ट	हाई कोर्ट
	सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकते है ।	हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है ।
	अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है । इसलिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है ।	अनुच्छेद 226 मूल अधिकार नहीं है । यह अपनी इच्छा से रिट जारी कर भी सकता है या नहीं भी ।
	आपातकाल के समय यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 को निलम्बित कर दे तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता है ।	आपातकाल के समय अनुच्छेद 226 का निलम्बन नहीं होता । अतः उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है ।
	सर्वोच्च न्यायालय का दायरा सीमित होता है	उच्च न्यायालय का दायरा विस्तृत है ।

अनुच्छेद 33 :- अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बल, पुलिस गुप्तचर विभाग, दूरसंचार के पदासीन व्यक्तियों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है ।

अनुच्छेद 34 :- मार्शल लॉ लागू क्षेत्र में मूलाधिकार कम किए जा सकते हैं ।

अनुच्छेद 35 :- संसद विधि बनाकर मूलाधिकारों को सीमित कर सकती है ।

भारतीयों को (भारतीय नागरिक) को प्राप्त मूल अधिकार :- अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30

केवल विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार (शत्रु देश के नागरिकों को छोडकर) :- अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है ।

मूल अधिकारों में संशोधन का मुद्दा :- संविधान लागू होते ही मूल अधिकारों में संशोधन का मुद्दा विवादित हो गया क्योंकि–

1. अनुच्छेद 13(2) यह प्रावधान करता है कि संसद किसी विधि द्वारा मूल अधिकार कम नहीं कर सकती ।
2. अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति देता है ।

अब प्रश्न उठता है कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों में कमी कर सकती है या नहीं ।
दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 368 के तहत किये गए संविधान संशोधन को भी विधि माना जाये या नहीं

1. शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 :-
- सर्वप्रथम 1951 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है अथवा नहीं ।
- अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी एक प्रकार की विधि है तथा अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर भी लागू होता है ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन विधि नहीं है । अतः संसद को यह पूरा अधिकार है कि वह मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है ।

2. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 :-
- इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय का अनुमोदन किया और यह दोहराया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन विधि नहीं है । अतः संसद को यह पूरा अधिकार है कि यह मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है ।

3. गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 :-
- इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दोनों पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी एक प्रकार की विधि है और अनुच्छेद 13(2) इस पर यह रोक लगाती है । अतः मूल अधिकारों का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता और इसके तहत ही भविष्य लक्ष्यी का प्रभाव का सिद्धान्त दिया गया जिसके तहत इस निर्णय का प्रभाव भविष्य में होने वाले संशोधनों पर ही लागू होगा अर्थात पूर्ववर्ती संशोधन बने रहेगें ।

4. 24 वां संविधान संशोधन 1971 :-
- इसके तहत अनुच्छेद 13(4) और अनुच्छेद 368(1) नए जोडे गए ।
- अनुच्छेद 13(4) के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन विधि नहीं है तथा इसके मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है ।

Unleash the topper in you